सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(इलाहाबाद जनपद के 120 उत्तर दाताओं पर आधारित अध्ययन)

डॉ0 अरविन्द कुमार मिश्र*

वर्ष 2014 में सम्पन्न लोक सभा चुनाव और उसके उपरान्त हुए विभिन्न विधान सभा चुनावों में विकास के साथ–साथ कालाधन और भ्रष्टाचार के मुद्दे चर्चित रहे। इसके पहले भी अन्ना हजारे के आन्दोलन में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि भ्रष्टाचार हमारी अधिकांश समस्याओं का कारण है और भ्रष्टाचार की सर्वाधिक सामाजिक स्वीकृति भी है। भ्रष्टाचार को दर्शन साहित्य, प्रशासन, राजनीति सब में अलग–अलग ढंग से देखा जाता है। भ्रष्टाचार एक ऐस आचरण है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए अपनी भूमिका निभाने के दौरान अवांछित लाभों को प्राप्त करता है, अपनी सम्पत्ति में बेतहासा वृद्धि करता है और राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। तकनीकी दृष्टि से भ्रष्टाचार की यह परिभाषा चर्चित रही है भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय–9 में धारा–161 में लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को इस रूप में रेखांकित किया गया है–कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए, वैध परिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का भी परितोषण इस बात को करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति के प्रति गृहीत या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या प्रविरत रहे अथवा किसी व्यक्ति को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह दिखाये या दिखाने से प्रविरत रहे अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी लोक सेवक के यहाँ उसको वैसी हैसियत में किसी व्यक्ति का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे।[1]

असिस्टेन्ट प्रोफेसर(गेस्ट फैकल्टी)समाजशास्त्र विभाग, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद

सामान्य तौर पर भ्रष्टाचार को सरकारी सेवाओं तक ही देखा जाता है जबकि वास्तविकता यह नही है। निजी क्षेत्र भी भ्रष्टाचार की चपेट में है पर उसका भ्रष्टाचार सामान्यतः कम चर्चित होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से हमें वास्तविकता की सामाजिक निर्मिति अथवा Social Construction of Reality को भी समझना होगा। इसका सामान्य अर्थ है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार को देखा जाता है, समझा जाता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक विविध अधिनियम पारित हुए है। समय–समय पर वह चर्चित भी रहे है। भ्रष्टाचार के क्षेत्र में भी अनुभवों से अधिनियम को संशोधित भी किया गया है, नये अधिनियम भी लाये गये है। सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) इसी प्रक्रिया की उपज है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक दशक से ज्यादा का अनुभव भारतीय समाज को है यह अधिकार और उसके प्रावधान लोकप्रिय हैं, अधिकांश लोगों का मानना यह है कि सरकारी संस्थाओं के कार्य–कलाप की जानकारी प्रायः नही होती थी, वह अब होने लगी है, सूचना का अधिकार अधिनियम जनसामान्य के समक्ष सूचनाओं के उपलब्ध कराता है। 6 अध्यायों में विभक्त यह अधिनियम सूचना का अधिकार, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं लोक सूचना प्राधिकारियों के पदनाम, सूचना प्राप्त करने के अनुरोध का निपटारा, सूचना के प्रकट किये जाने से छूट केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, सूचना आयोगों की सख्तियाँ और कृत्य आदि की चर्चा की गयी है। इसके साथ–साथ मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना जैसे पक्ष भी उल्लेखनीय है। सूचना का अधिकार अधिनियम से हम विविध मुद्दों पर सरकार से सूचनाएं माँग सकते हैं।[2]

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल नहीं है, मात्र दस रूपये में पोस्टल आर्डर से अपेक्षित सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं, यही कारण है कि आज ग्रामीण इलाकों में भी विविध सरकारी योजनाओं को लेकर सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। विद्यार्थी अपनी मूल्यांकित कापी को देख सकते हैं। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत ही लोकप्रिय है और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो इसका उपयोग कर रहे हैं। आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट अथवा सूचना के अधिकार अधिनियम के सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ यह तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि खनन, वनों की कटाई आदि से जुड़े हुए माफियाओं के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवाज उठाने वाले लोगों को उत्पीड़ित किया

जाता है।[3] यहाँ तक कि हत्या भी करवा दी गयी है। ऐसे में सूचना के अधिकार अधिनियम में उन लोगों की सुरक्षा की बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी पृष्ठभूमि में 120 युवाओं से सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रासंगिकता और उपयोग के सन्दर्भ में तथ्य एकत्रित किये गये हैं।

उद्देश्य एवं पद्धति–

प्रस्तुत शोध–पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जागरूकता और उपयोग पर केन्द्रित है। यह जानने का प्रयास किया गया है कि एक दशक से अधिक पुराने इस अधिनियम में लोगों की जागरूकता कितनी है, इसका उपयोग कैसा हो रहा है, इसकी कठिनाई क्या है। यह जानने के लिए सूचना का अधिनियम 2005 से अवधारणात्मक समझ कायम की गयी है। द्वैतीयक स्रोतों के रूप में इसके साथ–साथ कुछ पत्र–पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है। क्षेत्र कार्य पर आधारित यह अध्ययन प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है और इसमें पूर्व गामी सर्वेक्षण से प्रश्नावली को संबोधित भी किया गया है। सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन की पद्धति से इलाहाबाद जनपद के 120 उत्तरदाताओं पर यह अध्ययन आधारित है। 120 उत्तरदाताओं पर अध्ययन के साथ–साथ एक वैयक्तिक अध्ययन भी रखा गया है।

तालिका सं0 – 1
उत्तरदाताओं की लैंगिक प्रस्थिति

लैंगिक प्रस्थिति	संख्या	प्रतिशत
पुरूष	72	60%
महिला	48	40%
योग	120	100%

उत्तरदाताओं की लैंगिक प्रस्थिति से स्पष्ट है कि 60% उत्तरदाता पुरूष थे, और 40: उत्तरदाता महिलाएं थी। सामान्य रूप से यह महसूस किया जाता है कि स्त्रियाँ कागजी कार्यवाही से स्वयं को दूर रखना चाहती हैं जबतक की बहुत आवश्यक न हो। यह लैंगिक प्रस्थिति भी इस सामान्य धारणा की पुष्टि करता है।

तालिका सं0 – 2
उम्र संरचना

उम्र वर्ष में	संख्या	प्रतिशत
20–25	18	15%
25–30	30	25%
30–35	48	40%
30–40	24	20%
योग	120	100

उत्तरदाताओं की उम्र संरचना से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 40: उत्तरदाता 30–35 वर्ष 25% उत्तरदाता 25–30 वर्ष, 20% उत्तरदाता 35–40 वर्ष एवं 15% उत्तरदाता 20–25 वर्ष आयु समूह के थे।

तालिका सं0 – 3
उत्तरदाताओं की शैक्षिक प्रस्थिति

शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
स्नातक	84	70%
परास्नातक	36	30%
योग	120	100%

उत्तरदाताओं की शैक्षिक प्रस्थिति से स्पष्ट है कि 70: उत्तरदाता स्नातक थे और 30: उत्तरदाता परास्नातक थे। सामान्य रूप से स्नातक तक की शिक्षा आदर्श मानी जाती है। शैक्षिक प्रस्थिति इस तथ्य को प्रकाश में लाती है कि उत्तरदाता पर्याप्त शिक्षित थे और एक सक्रिय नागरिक के रूप में उनकी सहभागिता की अपेक्षा की जा सकती है।

तालिका सं0 – 4
उत्तरदाताओं की धार्मिक पृष्ठभूमि

धर्म	संख्या	प्रतिशत
हिन्दू	108	90%
मुस्लिम	12	10%
सिक्ख	–	–

अन्य	–	–
योग	120	100%

उत्तरदाताओं की धार्मिक संरचना में 90: उत्तरदाताओं का हिन्दू होना और 10: उत्तरदाता मुस्लिम थे। यह धार्मिक, जनांकिकीय संरचना के अनुसार स्वाभाविक ही है इसके साथ–साथ शोध के उत्तरदाता सोद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन प्रणाली के माध्यम से चयनित किये गये थे। अतः यह स्वाभाविक ही है।

तालिका सं0 – 5

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से परिचित होने का विवरण

अधिनियम	संख्या	प्रतिशत
सूचना का अधिकार	120	100%
योग	120	100%

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था यह अध्ययन 2017 का है एक दशक से अधिक समय हो जाने के बावजूद सतप्रशित उत्तरदाताओं का इससे परिचित होना स्वाभाविक है। पर्याप्त लोकप्रिय है 100: उत्तरदाताओं का इस अधिनियम से परिचित होना इस तथ्य को प्रकाश में लाता है। शोध की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हैं।

तालिका सं0 – 6

उत्तरदाताओं द्वारा प्रावधानों का प्रयोग

प्रावधान का प्रयोग	संख्या	प्रतिशत
हाँ	80	67%
नहीं	40	33%
योग	120	100%

120 उत्तरदाताओं मे से 80 उत्तरदाताओं के द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम का प्रयोग किया जाना यह स्पष्ट करता है कि किसी प्रावधान का लोकप्रिय होना अलग बात है और उसका प्रयोग किया जाना एक अन्य पक्ष है। 33: उत्तरदाताओं ने इस प्रावधान का प्रयोग नहीं किया। इसका सम्भावित कारण सिर्फ जागरूकता का अभाव नहीं रहा है। आगे की तालिका इसे स्पष्ट करती है।

तालिका सं0 – 7

प्रावधानों के प्रयोग नहीं करने के कारण

कारण	संख्या	प्रतिशत
जरूरत नहीं थी	00	00%
जरूरत थी पर नहीं किया	12	30%
परिस्थिति को स्वीकार कर लिया	24	60%
थोड़ा समय देना चाहते थे	04	10%
योग	40	100%

कुल 120 उत्तरदाताओं मे से 40 उत्तरदाताओं ने इस प्रावधान का प्रयोग नहीं किया था। सामान्य समझ यह है कि सभी लोगों को सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संयोगवश 40 उत्तरदाताओं में से सभी उत्तरदाताओं को प्रावधान के प्रयोग की जरूरत तो थी पर उन्होने अलग–अलग कारणों से उसका प्रयोग नहीं किया। 60% उत्तरदाताओं के द्वारा परिस्थिति को स्वीकार कर लेना कहीं न कहीं इस तथ्य को प्रकाश में लाता है कि भ्रष्टाचार से संघर्ष के मामले मे जनसामान्य की सक्रियता कम है। यह एक अलग पक्ष है कि इस कम सक्रियता का सम्बन्ध सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना और असुरक्षा की भावना से भी है।

तालिका सं0 – 8

प्रावधानों से संतुष्टि का स्तर

संतुष्टि का स्तर	संख्या	प्रतिशत
पूर्णतः सतुष्ट	30	25%
अंशतः संतुष्ट	24	20%
पूर्णतः असतुष्ट	12	10%
अंशतः असंतुष्ट	54	45%
योग	120	100%

यद्यपि तालिका संख्या–8 से स्पष्ट है कि सभी उत्तरदाता सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग नहीं करते है। पर अधिनियम से संतुष्टि के स्तर पर उन्होनें अपनी राय जाहिर की है। 25% उत्तरदाता सामान्य रूप से पूर्णतः संतुष्ट हैं और 10: उत्तरदाता पूर्णत असंतुष्ट हैं। 20% उत्तरदाता अंशतः संतुष्ट हैं और 45% उत्तरदाता अंशतः असंतुष्ट है।

तालिका सं0 – 9

प्रावधानों से संतुष्टि नहीं होने का कारण

कारण	संख्या	प्रतिशत
उपयुक्त उत्तर का न मिलना	48	40%
गोपनीयता के नाम पर सूचना न देना	36	30%
अतिरिक्त/अनावश्यक जानकारी देना	12	10%
प्रश्नकर्ता को अभिलेख देखने के लिए आमंत्रित करना	18	15%
अन्य कारण	6	5%
योग	120	100%

प्रावधानों से संतुष्ट नही होने के कारणों में 40: उत्तरदाता उपर्युक्त उत्तर न मिलने, 30% उत्तरदाता गोपनीयता के नाम पर सूचना न देना, 15% उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के अभिलेख देखने के लिए आमंत्रित करने, 10% उत्तरदाता अतिरिक्त/अनावश्यक जानकारी देने तथा 5% उत्तरदाता अन्य कारणों से असन्तुष्ट थे। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश लोग प्रावधानो सें संतुष्ट नही थे।

तालिका सं0 – 10

प्रावधानों को और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता से सहमति का स्तर

स्तर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	84	70%
नहीं	12	10%
कह नहीं सकता	24	20%
योग	120	100%

प्रावधानों को और प्रभावशाली बनाने के सम्बन्ध में 70% उत्तरदाताओं का सहमत होना यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान प्रावधान अभी शायद पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इसे और प्रभावशाली बनाये जाने की जरूरत है। 20% उत्तरदाताओं का कह नहीं सकता, कहना भी स्वाभाविक ही है क्योंकि अधिनियम के बने और प्रयोग में आये अभी एक दशक हुए है। समय–समय पर किस सूचना को जाहिर किया जाय, और न किया जाय को लेकर भी आम सहमति नहीं है। अतः 20% उत्तरदाता का अनिर्णय की स्थिति में होना भी स्वाभाविक है।

तालिका सं0 – 11

सूचना के अधिकार मे अतिसक्रिय लोगों के प्रति दमनात्मक कार्यवाही

कार्यवाही	संख्या	प्रतिशत
हाँ	60	50%
नहीं	36	30%
कह नहीं सकता	24	20%
योग	120	100%

सक्रिय लोगों पर दमनात्मक कार्यवाही पर 50% उत्तरदाता ने हाँ 30% उत्तरदाता नहीं, और 20% उत्तरदाता कुछ भी कह सकने की स्थिति में नही थे। अतः यह प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पहचानी जख सकती है।

उत्तरदाताओं की वैयक्तिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक, धार्मिक, लैंगिक आधार पर उत्तरदाताओं में विविधता थी। शोध उद्देश्य की दृष्टि से यह आवश्यक भी था। किसी एक धर्म जाति अथवा शैक्षिक स्तर से आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकते थे। शोध उद्देश्य के अनुरूप यह जानना आवश्यक था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जागरूकता कितनी है इसी को ध्यान में रखकर तथ्य एकत्रित किया गया है। जब आँकड़ें एकत्र किये जा रहे थे एक सक्रिय नागरिक से भी सम्पर्क किया गया और वैयक्तिक अध्ययन के रूप में उस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

वैयक्तिक अध्ययन संख्या–1

श्रीमान 'क' 60 वर्षीय पूर्व पत्रकार और साहित्यकार हैं, अपने लेखन के लिए वह जाने जाते हैं, हाल ही में जब एक युवा लेखक को उसकी पहली साहित्यिक कृति के लिए पुरस्कृत किया गया तो उन्होनें पुरस्कृत कृति की समीक्षा की। भाषा और तथ्य की दृष्टि से वह कृति उनकी दृष्टि में पुरस्कृत होने लायक नहीं थी। उन्हें कुछ अन्य लोगो से भी पुरस्कृत लेखक के सम्बन्ध में व्यक्तिगत शिकायत मिली थी। नागरिक और पत्रकार के रुप में उन्होने सूचना के अधिकार के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था से पुरस्कार देने के मानक, संस्तुति समिति की अनुशंसा इत्यादि के सम्बन्ध में सूचनाएं माँगी। बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने की जगह असंगत सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी। अभिलेखों की विस्तृत छायाप्रति के लिए 3–4 हजार रुपये धनराशि माँगी गयी, थोड़े बहुत प्रयास के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि सम्बन्धित संस्था की रूचि सूचना देने और उन्हें

सहयोग करने की नहीं थी। उन्होनें बताया कि जब बड़े व्यक्ति और संगठन के हित प्रभावित होते हैं, तब यह अधिनियम बहुत प्रभावशाली प्रायः नहीं हो पाता है, इसमें अपेक्षित परिवर्तन किये जाने पर उन्होनें जोर दिया।

निष्कर्ष:–

120 युवा उत्तरदाताओं के अभिमत पर मुख्य रूप से केन्द्रित यह शोध आलेख इस तथ्य को सामने लाता है, कि सामान्यतः बहुत प्रभावित होने की स्थिति में ही लोग इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति और संगठन अगर बहुत शक्तिशाली है तो इस अधिकार का प्रयोग झिझक के साथ होता हैं, यह भी भ्रष्टाचार की प्रघटना की जटिलता को सामने लाता है। 70% प्रतिशत उत्तरदाता जब प्रावधान को और प्रभावशाली बनाने के पक्ष में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं ऐसे मे इस अधिकार की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। वैयक्तिक अध्ययन भी इस तथ्य को प्रकाश मे लाता है कि यथासंभव सूचना को देने की जगह रोकने, टालने अथवा तथ्यात्मक त्रुटि के साथ सूचनाएं दी जाती है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस शोध आलेख के निष्कर्ष को समझा जा सकता है।

यह सही है कि छोटे पैमाने पर किया जाने वाला यह शोध क्षेत्र, उपकल्पना, उत्तरदाता की संख्या की दृष्टि से गहन नही है। प्रस्तुत अध्ययन उत्तरदाताओं के एक सीमित समूह (120) पर आधारित है और अधिनियम विशेष पर केन्द्रित है यह इस शोध आलेख की सीमा है। निश्चित रूप से एक प्रवृत्ति को पहचानने का प्रयास है। फिर भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सन्दर्भ में एक समझ विकसित करने का प्रयास है।

सन्दर्भ–सूची

1. Criminal Manual: Easter Book Company: Lucknow 1983, : 9 P.C. 1860 IX, pp. 37-38.
2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (1 फरवरी 2011 को यथाविद्यमान), भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय
3. मनोरमा ईयर बुक 2012

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, बिहारी प्रसाद (2005) भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार, राधा पब्लिकेशन, दिल्ली

2. Guhan, S & Paul, Samuel (1997): Corruption in India. Vision Books, Delhi.
3. झा, सी.एम. : (2004) भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, राधाकृष्ण दिल्ली।

****